-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना चिल्ला पुलिस द्वारा फर्जी/कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमानत कराने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग लीडर) को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना चिल्ला पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत कराने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग लीडर) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त शिवस्वरूप उर्फ मास्टर जो अपने साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से एक ही खतौनी का उपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जेल में बंद अभियुक्तों की जमानत कराकर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित करता था। जिसके सम्बन्ध में थाना तिंदवारी में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था जिसे थाना चिल्ला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को इन्द्रानगर थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवस्वरूप उर्फ मास्टर पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम भिडौरा थाना तिंदवारी(हाल पता मोहल्ला इन्द्रानगर थाना कोतवाली नगर) जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवस्वरूप उर्फ मास्टर उपर्युक्त-

1. मु0अं0सं0 873/22 धारा 323/325/504/506 भादावि थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 274/25 धारा 229/233/246/318(4)/338/336(3)/340(2)237/319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
3. मु0अं0सं0 280/25 धारा 229/233/246/318(4)/338/336(3)/340(2)237/319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
4. मु0अं0सं0 284/25 धारा 229/233/246/318(4)/338/336(3)/340(2)237/319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
5. मु0अं0सं0 285/25 धारा 229/233/246/318(4)/338/336(3)/340(2)237/319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
6. मु0अं0सं0 902/25 धारा 237/246/318(2)/318(4)/319(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
7. मु0अं0सं0 128/26 धारा 29(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना तिंदवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री आनन्द कुमार साहु थानाध्यक्ष चिल्ला
2. कां0 सचिन कुमार
3. कां0 कौशल
4. म0कां0 हेमलता